न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश, जिला सलूम्बर, (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:—	श्री विजय सिंह महावर, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:—	25/2023,
सी.आई.एस. नंबर	:—	25/2023
सी.एन.आर. नंबर	:—	RJSA01-000514-2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं	:—	63/2023, पुलिस थाना गींगला

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, सलूम्बर (राज.)

———अभियोगी

विरुद्ध

लाल सिंह उर्फ लाला पिता विजय सिंह, उम्र वयस्क, निवासी वागावतों का रोबा, पुलिस थाना गींगला, जिला सलूम्बर, (राज.)

———अभियुक्त

—::अपराध अन्तर्गत धारा 449, 394, 302 भारतीय दण्ड संहिता::—

उपस्थिति :—

1. श्री नाहर सिंह चुण्डावत, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2. श्री परमानन्द मेहता एवं श्री महेश जोशी, विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक 17 मार्च, 2026

---

(01) प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी पूनमनाथ पी.डब्ल्यू—03 ने बमुकाम मोर्चरी, जिला अस्पताल सलूम्बर पर दिनांक 31.05.2023 को एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—08 पुलिस थाना गींगला के थानाधिकारी के नाम इस आशय की पेश की कि वे तीन भाई है सबसे बड़ा वह स्वयं है उससे छोटा गौतमनाथ व शिवनाथ हैं। उसके पिता जी की मृत्यु आज से करीब 25 वर्ष पहले हो गई थी, वे तीनों भाई अहमदाबाद में काम करते है ओर वहीं पर परिवार सहित रहते है। घर पर कोई कार्यक्रम होता है तभी आते है घर पर उसकी माता केशी बाई अकेली रहती है, दिनांक 30.05.2023 को उसके साडू देवनाथ निवासी जावद

के वहां परसादी होने से वह और उसकी पत्नी जावद गये थे, उसके दोनों भाई अहमदाबाद ही थे, शाम को करीब 03:30 बजे उसके भाई गौतमनाथ ने फोन करके उसे बताया कि मां को किसी ने मार दिया है। आप घर पहुंचो और वे भी आ रहे है। उसके बाद वह और उसकी पत्नी दोनों जावद से उनके घर भैसों का नामला आये और देखा तो उसकी माता मकान के अन्दर फर्श पर मरी हुई पड़ी थी, उसके मुंह के पास खून निकल कर जमे हुए थे उसकी माता ने कान में सोने के टॉप्स व गले में चांदी की चैन पहन रखी थी, जो नहीं है। उसके बाद गांव के मोहब्बत सिंह ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे उसकी माता जोर–जोर से हाका कर रही थी, जिस पर वह और उसका भाई रूप सिंह दोनों दौड़कर आये ओर रास्ते में आकर देखा तो केशी बाई के कमरे का दरवाजा बन्द था और केशी बाई की आवाज भी बंद हो गई। फिर उन्होंने केशी बाई को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आने पर मैंने फोन करके मान सिंह को बताया, तब मान सिंह और उसके साथ भेरु सिंह, केशर सिंह, लक्ष्मण सिंह आये, उन्होंने उसके बड़े पिता खेमनाथ के लड़के गौतमनाथ उंकारनाथ एवं रामनाथ के लड़के हीरानाथ को बुलाया फिर सभी ने दरवाजे को धक्का देकर देखा तो अन्दर का करनाला लगा हुआ था जिस पर किसी की अन्दर होने की शंका होने से एवं बाहर सड़क पर मोटरसाइकिल नंबर आर.जे. 27बी.ई 8689 खड़ी होने से उन्होंने सूचना पुलिस को दी। जिस पर गींगला थाने से पुलिस आई और उनके सामने पुलिस ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और सबने अन्दर देखा तो केशी बाई फर्श पर मरी हुई पड़ी थी और पास में लाल सिंह खड़ा था, फिर उनके सामने पुलिस वालों ने लाल सिंह को पूछा तो उसने बताया कि वह गले की चैन और कान के टॉप्स लेने आया था जिस पर ये दोनों लेते समय केशी द्वारा हल्ला करने पर उसने उसका गला दबाकर फर्श पर पटक दी, जिसे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उनके सामने पुलिस वालों ने लाल सिंह की तलाशी ली तो उसके पास कानों के टॉप्स एवं गले की चैन मिली। जिस पर लिखा पढ़ी कर पुलिस वाले लाल सिंह को थाने ले गये। यह बात उसे मोहब्बत सिंह ने बतायी है उसके बाद उसकी माता की लाश को सलूम्बर अस्पताल पुलिस एवं गांव वालों के साथ लाये एवं लाश को मोर्चरी में रखवाया। रात के समय लाल सिंह ने उनके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसकी माता के गले में पहनी हुई चैन एवं कानों के टॉप्स छीनकर उसकी माता की हत्या कर दी

है। कानूनी कार्यवाही करावे....इत्यादि।

(02) उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना गींगला पर प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/2023 अपराध अंतर्गत धारा 460 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त लाल सिंह के विरुद्ध धारा 449, 394, 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए उक्त धारा के अपराध में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.) की न्यायालय में दिनांक 11.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होना पाए जाने से प्रकरण कमिट होकर वास्ते विचारण इस न्यायालय को दिनांक 24.08.2023 को प्राप्त हुआ जिस पर सेशन प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का विचारण प्रारम्भ किया गया।

(03) आरोप के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता, अभियुक्त की बहस एवं तर्को को सुनने के पश्चात् अभियुक्त लाल सिंह को दिनांक 27.10.2023 को धारा 449, 394, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध के सुन व समझकर उक्त आरोप से इंकार किए जाने पर अभियोजन साक्ष्य आरंभ की गई।

(04) अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए निम्न गवाहान परीक्षित करवाए गए:—

क्रम सं.	नाम गवाह	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	औंकारनाथ	चश्मदीद शहादत एवं फर्दात् ताईदकर्ता
पी.ड. 2	गौतमनाथ	चश्मदीद शहादत एवं फर्दात् ताईदकर्ता
पी.ड. 3	पुनमनाथ	एफ.आई.आर. ताईदकर्ता एवं फर्दात् ताईदकर्ता
पी.ड. 4	केसर सिंह	चश्मदीद शहादत एवं फर्दात् ताईदकर्ता
पी.ड. 5	मोहब्बत सिंह	चश्मदीद शहादत एवं फर्दात् ताईदकर्ता
पी.ड. 6	हरिनाथ	चश्मदीद शहादत एवं फर्द पंचायतनामा लाश ताईदकर्ता
पी.ड. 7	लक्ष्मण सिंह	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 8	भैरोसिंह	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 9	विजय सिंह	वाकयाती गवाह
पी.ड. 10	शिवनाथ	वाकयाती गवाह
पी.ड. 11	गौतमनाथ पिता	वाकयाती गवाह

	गुलाबनाथ	
पी.ड. 12	मानसिंह	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 13	रूपसिंह	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 14	शोभाराम	आर्टिकल्स एफ.एस.एल. जमाकर्ता
पी.ड. 15	पुष्पाबाई	वाकयाती गवाह
पी.ड. 16	डॉ. दुर्गेश कुमार	पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताईदकर्ता
पी.ड. 17	डॉ. शुभम जैन	पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चोट प्रतिवेदन अभियुक्त ताईदकर्ता
पी.ड. 18	नरेन्द्र	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 19	धर्मेन्द्र सिंह	चश्मदीद शहादत एवं आर्टिकल्स एफ.एस.एल. जमाकर्ता
पी.ड. 20	पुष्पेन्द्र	चश्मदीद शहादत
पी.ड. 21	जशोदा	फर्द जब्ती अभियुक्त एवं फर्द जब्ती शर्ट ताईदकर्ता
पी.ड. 22	बलवंत सिंह	फर्द जब्ती अभियुक्त एवं फर्द जब्ती शर्ट ताईदकर्ता
पी.ड. 23	प्रवीण कुमार	चश्मदीद शहादत एवं मालखाना ताईदकर्ता
पी.ड. 24	लक्ष्मणसिंह	अनुसंधान अधिकारी

(05) प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए –

दस्तावेज (प्रदर्श)	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श पी–01	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका केशी देवी
प्रदर्श पी–02	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका केशी देवी
प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती मृतका केशीदेवी के कपड़े ब्लाउज
प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती मृतका केशी देवी के कान में पहने हुए टॉप्स का टुकड़ा
प्रदर्श पी–05	फर्द जब्ती घटनास्थल मृतका केशी देवी के कमरे में लगी खून आलूदा टाईल एवं कंट्रोल सैम्पल टाईल
प्रदर्श पी–06	फर्द जब्ती मृतका केशी देवी के गले में पहनी हुई चांदी की चैन के टुकड़े
प्रदर्श पी–07	अपराध विवरण पत्र/नक्शा मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी–08	परिवादी पूनमनाथ द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना गींगला को मृतक माता केशी देवी के जैवरात संबंधी बिल नहीं होने संबंधी पत्र
प्रदर्श पी–08	लिखित रिपोर्ट

प्रदर्श पी–09	फर्द जब्ती एक सोने की चैन व टॉप्स का टुकडा बाकब्जा अभियुक्त लालसिंह
प्रदर्श पी–10	फर्द जब्ती अभियुक्त लालसिंह की मोटरसाइकिल
प्रदर्श पी–11	फर्द नक्शा बरामदगी स्थल मोटरसाइकिल
प्रदर्श पी–12	पुलिस बयान गवाह लक्ष्मण सिंह
प्रदर्श पी–13	पुलिस बयान गवाह भेरु सिंह
प्रदर्श पी–14	पुलिस बयान गवाह विजय सिंह
प्रदर्श पी–15	पुलिस बयान गवाह मान सिंह
प्रदर्श पी–16	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 27.06. 2023
प्रदर्श पी–17	जिला पुलिस अधीक्षक का आर्टिकल्स एफएसएल में भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 27.06.2023 की प्रति
प्रदर्श पी–18	एफ.एस.एल. जमा रसीद दिनांक 28.062023
प्रदर्श पी –19	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा चिकित्सा अधिकारी को मृतका के पोस्टमार्टम करवाने बाबत् तहरीर की कार्बन प्रति दिनांक 31.05. 2023
प्रदर्श पी–20	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका केशी बाई
प्रदर्श पी–21	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला की ओर से एम.ओ. पी.एच.सी. ओरवाडिया को अभियुक्त लालसिंह का चोट प्रतिवेदन करवाने बाबत् तहरीर
प्रदर्श पी–22	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त लालसिंह
प्रदर्श पी–22	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06. 2023
प्रदर्श पी–23	जिला पुलिस अधीक्षक का आर्टिकल्स एफएसएल में भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06.2023 की प्रति
प्रदर्श पी–24	एफ.एस.एल. जमा रसीद दिनांक 22.06.2023
प्रदर्श पी–25	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त लाल सिंह
प्रदर्श पी–26	फर्द जब्ती अभियुक्त लाल सिंह की वक्त घटना पहनी शर्ट
प्रदर्श पी–27	अभियुक्त लालसिंह को दिनांक 31.05.2023 को धारा 107–151 जा.फौ. के इस्तगासे के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट गींगला के समक्ष पेश करने संबंधी पत्र की प्रति
प्रदर्श पी–27ए	नकल मालखाना रजिस्टर की प्रति

प्रदर्श पी–28	अभियुक्त लालसिंह की जरिये इस्तगासा से गिरफ्तारी
प्रदर्श पी–28	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी–29	मृतका केशीबाई के शव के फोटोग्राफ
प्रदर्श पी–30	एफ.एस.एल. मोबाईल यूनिट को मौके पर बुलाने बाबत् तहरीर
प्रदर्श पी–31	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त लालसिंह दिनांक 31.05.2023
प्रदर्श पी–32	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त लाल सिंह दिनांक 01.06.2023
प्रदर्श पी 33	थानाधिकारी गींगला द्वारा एम.ओ. को अभियुक्त लाल सिंह के स्वास्थ्य परीक्षण बाबत दी गई तहरीर दिनांक 01.06.2023
प्रदर्श पी–34	थानाधिकारी गींगला द्वारा एम.ओ. को अभियुक्त लाल सिंह के स्वास्थ्य परीक्षण बाबत दी गई तहरीर दिनांक 02.06.2023
प्रदर्श पी–35	रोजनामचा आम दिनांक 31.05.2023 समय 00:05 ए.एम.
प्रदर्श पी–36	रोजनामचा आम दिनांक 31.05.2023 समय 05:41 ए.एम.
प्रदर्श पी–37	रोजनामचा आम दिनांक 31.05.2023 समय 04:13 ए.एम.
प्रदर्श पी–38	रोजनामचा आम दिनांक 31.05.2023 समय 15:08 पी.एम.
प्रदर्श पी–39	रोजनामचा आम दिनांक 23.06.2023 समय 09:37 ए.एम.
प्रदर्श पी–40	रोजनामचा आम दिनांक 22.06.2023 समय 09:37 ए.एम.
प्रदर्श पी–41	रोजनामचा आम दिनांक 01.07.2023 समय 18:67 पी.एम.
प्रदर्श पी–42	रोजनामचा आम दिनांक 27.06.2023 समय 10:42 ए.एम.
प्रदर्श पी–43	एफ.एस.एल. रिपोर्ट पेश करने बाबत् पत्र दिनांक 04.01.2024
प्रदर्श पी–44	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
प्रदर्श पी–45	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06.2023
प्रदर्श पी–46	थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06.2023 की प्रति

नोट :– सहवन से प्रकरण में प्रदर्श पी–08 के रूप में दो दस्तावेज परिवादी पुनमनाथ द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना गींगला को मृतक माता केशी देवी के जेवरात संबंधी बिल नहीं होने संबंधी पत्र एवं लिखित रिपोर्ट दोनों को प्रदर्शित करवा दिया गया है इसी प्रकार प्रदर्श पी–22 के रूप में दो दस्तावेज चोट

प्रतिवेदन अभियुक्त लाल सिंह एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06.2023 को प्रदर्शित करवा दिया गया है इसी प्रकार प्रदर्श पी–28 के रूप में दो दस्तावेज अभियुक्त लाल सिंह को धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन गिरफ्तार किये जाने संबंधी फर्द की प्रति एवं चाक एफ.आई.आर. को प्रदर्शित करवा दिया गया है। अतः आगे के विवेचन में लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श पी–8ए के रूप में, थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला द्वारा पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र दिनांक 22.06.2023 को प्रदर्श पी–22ए के रूप में तथा चाक एफ.आई.आर. को प्रदर्श पी–28ए के रूप में अंकित किया जाएगा।

(06) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु परीक्षित कर उसके कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष और झूंठा फंसाया जाना कथन किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गई।

(07) पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु यह है:–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2023 की दरमियानी रात्रि को मौजा भैंसो का नामला में मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के आशय से परिवादी के मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर केशी बाई के कानों के टॉप्स एवं गले की चैन लूटी और उक्त कृत्य का विरोध करने के दौरान केशी बाई का गला दबाकर उसकी हत्या कारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 449, 394, 302 के अधीन दण्डनीय अपराध किया ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

(08) उपरोक्त अवधारणीय बिन्दुओं के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित करवाए गए हैं, उनकी साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित

अपराध में सकारात्मक नहीं आई है। प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण पक्षद्रोही रहे है। अतः अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाये।

इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक की बहस रही है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के आरोप में दोषसिद्ध कर कड़े दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

(09) बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसका विवेचन इस प्रकार हैः-

(10) प्रस्तुत मामले में घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-08ए (प्रदर्श पी-08 के रूप में दो दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये जाने से लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श पी-08ए अंकित किया जा रहा है) पूनमनाथ पी.डब्ल्यू-03 द्वारा पुलिस थाना गींगला के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें उसने यह तथ्य अंकित करवाये है कि ''वे तीन भाई है सबसे बड़ा वह स्वयं है उससे छोटा गोतमनाथ व शिवनाथ हैं। उसके पिताजी की मृत्यु आज से करीब 25 वर्ष पहले हो गई थी, वे तीनों भाई अहमदाबाद में काम करते है और वहीं पर परिवार सहित रहते है। घर पर कोई कार्यक्रम होता है तभी आते है घर पर उसकी माता केशी बाई अकेली रहती है, दिनांक 30.05.2023 को उसके साडू देवनाथ निवासी जावद के वहां परसादी होने से वह और उसकी पत्नी जावद गये थे, उसके दोनों भाई अहमदाबाद ही थे, शाम को करीब 03:30 बजे उसके भाई गौतमनाथ ने फोन करके उसे बताया कि मां को किसी ने मार दिया है। आप घर पहंचो और हम भी आ रहे है। उसके बाद वह और उसकी पत्नी दोनों जावद से उनके घर भैसों का नामला आये और देखा तो उसकी माता मकान के अन्दर फर्श पर मरी हुई पड़ी थी, उसके मुंह के पास खून निकल कर जमे हुए थे उसकी माता ने कान में सोने के टॉप्स व गले में चांदी की चैन पहन रखी थी, जो नहीं है। उसके बाद गांव के मोहब्बत सिंह ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे उसकी माता जोर-जोर से हाका कर रही थी, जिस पर मैं और मेरा भाई रूप सिंह दोनों दोडकर आये और रास्ते में आकर देखा तो केशीबाई के कमरे का दरवाजा बन्द था और केशी बाई की आवाज भी बंद हो गई। फिर हमने केशी बाई को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आने पर मैंने

फोन करके मान सिंह को बताया, तब मान सिंह और उसके साथ भेरु सिंह, केशर सिंह, लक्ष्मण सिंह आये, उन्होंने उसके बडे पिता खेमनाथ के लडके गौतमनाथ उंकारनाथ एवं रामनाथ के लड़के हीरानाथ को बुलाया फिर सभी ने दरवाजे को धक्का देकर देखा तो अन्दर का करनाला लगा हुआ था जिस पर किसी की अन्दर होने की शंका होने से एवं बाहर सड़क पर मोटरसाइकिल नंबर आरजे 27 बी.ई 8689 खड़ी होने से हमने सूचना पुलिस को दी। जिस पर गींगला थाने से पुलिस आई और उनके सामने पुलिस ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और सबने अन्दर देखा तो केशी बाई फर्श पर मरी हुई पड़ी थी और पास में लाल सिंह खड़ा था, फिर हमारे सामने पुलिस वालों ने लाल सिंह को पूछा तो उसने बताया कि वह गले की चैन और कान के टॉप्स लेने आया था जिस पर ये दोनों लेते समय केशी द्वारा हल्ला करने पर उसने उसका गला दबाकर फर्श पर पटक दी, जिसे उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमारे सामने पुलिस वालों ने लाल सिंह की तलाशी ली तो उसके पास कानों के टॉप्स एवं गले की चैन मिली, जिस पर लिखा पढ़ी कर पुलिस वाले लाल सिंह को थाने ले गये। यह बात उसे मोहब्बत सिंह ने बतायी है उसके बाद उसकी माता की लाश को सलूम्बर अस्पताल पुलिस एवं गांव वालों के साथ लाये एवं लाश को मोर्चरी में रखवाया। रात के समय लाल सिंह ने उनके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसकी माता के गले में पहनी हुई चैन एवं कानों के टॉप्स छीनकर उसकी माता की हत्या कर दी है।'' इस प्रकार लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–8ए के अनुसार रिपोर्टकर्ता पूनमनाथ मृतका का पुत्र है जो घटना के समय मौके पर नहीं था वह गौतम नाथ द्वारा फोन करने पर मौके पर आया था और उसके मौके/घटनास्थल पर आने से पूर्व मकान का दरवाजा पुलिस की उपस्थिति में खोला जा चुका था किंतु पूनमनाथ पी.डब्ल्यू–03 द्वारा अपने बयानों में स्वयं को मौके का चश्मदीद साक्षी होना बताते हुए कथन किया गया है कि ''हम सुबह 06:00 बजे के आस–पास घटनास्थल पर पहुंच गये। फिर मैंने घर का ताला खोला और अपने भाई के मकान पर गया तो देखा कि मेरी मां फर्श पर मृत पड़ी हुई है। मुझे मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि किसी ने मरी मां को मार दिया है। इस गवाह से जब प्रतिपरीक्षण किया गया तो पी.डब्ल्यू–03 ने स्वयं के द्वारा मृतका के घर का ताला खोलकर अंदर जाना बताया है और कथन किया है कि अभियुक्त लाल सिंह मृतका की लाश के पास उपस्थित नहीं था और लाल

सिंह से पुलिस ने उसके सामने गले की चैन एवं कान के टॉप्स के टुकड़े बरामद नहीं किये थे। इस प्रकार स्वयं रिपोर्टकर्ता पूनम नाथ पी.डब्ल्यू–03 के बयानों से लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–08ए में अंकित इन तथ्यों की तो पुष्टि होती है कि दिनांक 31.05.2023 को प्रातः 06:00 बजे जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब उसकी माता केशी बाई कमरे में मृत पाई गई किंतु इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि मृतका केशी बाई की लाश के साथ अभियुक्त कमरे में पाया गया हो। अतः गवाह पूनम नाथ के बयानों से अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(11) प्रकरण में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–08ए के अनुसार अगला महत्वपूर्ण गवाह मोहब्बत सिंह का होना प्रकट होता है जिसके बताये अनुसार पी.डब्ल्यू–03 पूनमनाथ द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–08ए में तथ्य अंकित करवाये गये। मोहब्बत सिंह को अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू–05 के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ''करीब 12 माह पूर्व रात को 12:00 बजे की बात है। किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो सोचा कि चोर है फिर मैंने मान सिंह को फोन किया तो मान सिंह आये फिर आवाज की तरफ हमने रोड़ पर मोटरसाइकिल देखी और पता किया कि किसकी है फिर मान सिंह ने दो तीन जना को फोन किया तो केसर सिंह व अन्य लोग आ गये। फिर पुलिस को फोन किया तो मौके पर पुलिस आई और केशी बाई के घर का दरवाजा खुलवाया तो हमने देखा कि <u>अंदर से लाल सिंह नामक लडके को पुलिस ने पकडा तथा डोकरी केशी बाई अंदर मर गई थी।</u> फिर गांव वालों ने मृतका के परिवार वालों को बुलाया तो मौके पर हरिनाथ, गौतमनाथ आदि आ गये। इन्होंने पूरी घ टना को देखा। अभियुक्त ने चोरी की नियत से घर में घुसकर मृतका केशी बाई की हत्या की है।'' आगे गवाह ने लाल सिंह से मृतका केशी बाई के पहने हुए जेवर की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–09, घटनास्थल से मोटरसाइकिल जब्त कर फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–10 व पी–11 बनाना और तीनो फर्दों पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। इस प्रकार गवाह के बयानों से प्रकट है कि इसने सर्वप्रथम मृतका के चिल्लाने की आवाज सुनी और यही गवाह मान सिंह व अन्य के साथ सबसे पहले मौके पर पहुंचा तथा पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने पर मृतका के कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो कमरे के अंदर मृतका

केशी बाई की लाश के साथ अभियुक्त लाल सिंह को खड़े पाया तथा अभियुक्त के कब्जे से मृतका के वक्त घटना पहने जेवर कान के टॉप्स एवं गले की चैन के टुकड़े भी इस गवाह के सामने पुलिस ने बरामद किये। हालांकि प्रतिपरीक्षण में गवाह ने फर्दें पुलिस द्वारा पढकर नहीं सुनाना, अपनी आंखो से घटना होते हुए नहीं देखना, लाल सिंह द्वारा कोई घटना कारित करते हुए नहीं देखना स्वीकार किया है किंतु गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि अभियुक्त लाल सिंह मृतका के कमरे में मृतका की लाश के साथ नहीं पाया गया हो और अभियुक्त के कब्जे से मृतका के वक्त घटना पहने हुए जेवर के टुकड़े बरामद नहीं किये गये हो।

(12) गवाह मोहब्बत सिंह पी.डब्ल्यू–05 के कथनों की पुष्टि अन्य गवाह पी. डब्ल्यू–06 हरिनाथ के बयानों से भी होती है गवाह हरिनाथ पी.डब्ल्यू–06 ने कथन किया है कि लगभग डेढ़ साल पहले रात 12:00 बजे की बात है मैं घर पर सो रहा था तब रूप सिंह ने आवाज लगाकर बुलाया तो मैं मेरी काकी केशी बाई के घर पर गया वहां रूप सिंह और मोहब्बत सिंह खड़े थे जिन्होंने फोन करके मान सिंह को बुलाया। मेरी काकी के घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई तो हमने देखा कि कोई ना कोई अंदर है मेरी काकी भी नहीं बोल रही है। घटनास्थल पर एक मोटरसाइकिल पडी हुई थी तो फिर थाने पर सूचना दी तो मौके पर पुलिस आ गई तथा परिवार वालों को भी सूचना दी। फिर पुलिस ने कहा कि दरवाजा खोल नहीं तो हम तोड़ रहे है <u>तो फिर दरवाजा खोला तो अंदर से अभियुक्त लाल सिंह निकला जिसको पुलिस ने हमारी आंखो के सामने पकडा। मेरी काकी अंदर फर्श पर मरी पड़ी हुई थी। जिसको अभियुक्त ने मार दिया था। मौके पर पुलिस ने अभियुक्त से कान के टॉप्स व चैन के टुकडे जब्त किये।</u> पूनमनाथ का छोटा भाई गौतमनाथ अहमदाबाद था उसको फोन कर सूचना दी। पूनमनाथ व उसकी पत्नी ने घटना देखी और मोहब्बत सिंह ने पूरी घटना बताई। मृतका को अस्पताल ले गये जंहा पोस्टमॉर्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। अभियुक्त ने चोरी की नियत से मृतका केशी बाई के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि केशी बाई के घर से चिल्लाने की आवाज उसने नहीं सुनी। मेरे जाने से पूर्व घटनास्थल पर काफी लोग आ गये थे। जो मोटरसाइकिल बरामद की उसके नंबर याद नहीं है। लाल सिंह द्वारा कोई घ

ाटना कारित करते हुए उसने नहीं देखी। पुलिस ने उसके सामने कोई बरामदगी नहीं की। हालांकि गवाह ने अभियुक्त लाल सिंह को घटना कारित करते हुए नहीं देखना एवं उसके सामने कोई सामान बरामद नहीं किया जाना स्वीकार किया है किंतु जब यह गवाह मौके पर पंहुचा और उसके सामने मृतका के मकान का दरवाजा खुलवाया तो अंदर से अभियुक्त लाल सिंह के निकलने संबंधी तथ्य का कोई खंडन गवाह से नहीं करवाया है। जहां तक इस गवाह के सामने कोई बरामदगी नहीं किये जाने का प्रश्न है तो यह गवाह बरामदगी का गवाह ही नहीं है। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी–28 के गवाह मोहब्बत सिंह व केसर सिंह रहे है जिन्होने अपने कथनों के माध्यम से प्रदर्श पी–28 की पुष्टि की है और बताया है कि जब दरवाजा खुलवाया तो मृतका केशी बाई के कमरे से अभियुक्त लाल सिंह निकला एवं उसके कब्जे से मृतका केशी बाई के वक्त घटना पहने कानों के टॉप्स व चैन के टुकड़े बरामद किये।

(13) इसी प्रकार प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह केसर सिंह पी.डब्ल्यू–04 ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि करीब 12 महीने पहले रात के करीब 12:00 बजे की बात है मुझे मान सिंह ने फोन करके बुलाया तो मैं वहां गया जहां पहले से मान सिंह, रूप सिंह, मोहब्बत सिंह आदि बैठे थे जिन्होंने बताया कि कुछ देर पहले केशी बाई चिल्ला रही थी अब चिल्लाने की आवाज बंद है और दरवाजा भी बंद है तो पुलिस सूचना पाकर वहां आई और दरवाजा खुलवाया तो अंदर से लाल सिंह नाम का आदमी निकला जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास क्या था और क्या जब्त किया यह मुझे पता नहीं। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने हालांकि यह कथन किया है कि फर्दों पर क्या लिखा था मुझे पता नहीं किंतु फर्दों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घ ाटना होते हुए मैंने नहीं देखी। लाल सिंह द्वारा केशीबाई के कानों के टॉप्स चैन आदि छीनते हुए मैंने नहीं देखा ना ही लाल सिंह द्वारा केशी बाई को मारते हुए देखा लेकिन गवाह द्वारा केशी बाई के कमरे से अभियुक्त लाल सिंह के निकलने और पुलिस द्वारा पकड़ने संबंधी तथ्य का खंडन गवाह से नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में गवाह मोहब्बत सिंह पी.डब्ल्यू–05 एवं हरिनाथ पी.डब्ल्यू–06 के कथनों की संपुष्टि इस गवाह के बयानों से भी होना प्रकट है।

(14) इस संबंध में यदि धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन किया

जावे तो धारा 106 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ''जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।'' अभियुक्त लाल सिंह को मृतका के कमरे में मृतका केशी बाई की लाश के साथ पकड़ा गया है और घटनास्थल पर ही उसके कब्जे से मृतका द्वारा वक्त घटना पहने हुए कानों के टॉप्स एवं गले की चैन के टुकड़े बरामद किये गये है ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार कि उसे मौके से मृतका के कमरे से उसकी लाश के साथ नहीं पकडा गया और उसके कब्जे से कानों के टाप्स एवं गले की चैन के टुकड़े बरामद नहीं किये गये, अभियुक्त पर था जिस भार को अभियुक्त लाल सिंह द्वारा उन्मोचित नहीं किया गया है। इसी प्रकार धारा 114 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ''न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए यह सम्भाव्य समझता है। इसी प्रावधान के दृष्टांत 'क' में यह प्रावधित किया गया है कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा – चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त लाल सिंह को मृतका केशी बाई की लाश के साथ उसके कमरे में पकड़ा गया है और उसके कब्जे से मृतका केशी बाई द्वारा गले में पहनी हुई चैन के टुकड़े एवं काना के टॉप्स भी बरामद किये गये है। अभियुक्त लाल सिंह ने मृतका केशी बाई की लाश के साथ कमरे में उपस्थित होने संबंधी तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है ना ही अभियुक्त का ऐसा कोई कथन रहा है कि उसके कब्जे से मृतका केशी बाई द्वारा वक्त घटना पहने कानो के टॉप्स एवं गले की चैन का टुकड़ा बरामद नहीं किया गया हो। अभियुक्त का ऐसा भी कोई कथन नहीं रहा है कि बरामदशुदा चैन का टुकड़ा एवं कानों के टॉप्स का टुकडा मृतका केशीबाई का नहीं रहा हो।

(15) अभियुक्त लाल सिंह को मृतका केशी बाई के कमरे से पकड़े/निरुद्ध किये जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि प्रदर्श पी–27 धारा 107, 151 के इस्तगासा से भी होती है जो थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला की ओर से कार्यपालक मजिस्ट्रेट गींगला के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार अभियुक्त लाल सिंह को दिनांक

31.05.2023 को समय 03:20 ए.एम. पर हेड कानिस्टेबल प्रवीण ने जाप्ता के साथ भैंसों का नामला स्थित मृतका केशी बाई के मकान से गिरफ्तार किया जाना और तलाशी के दौरान उसके पैर के जूतों में से चांदी जैसी चैन के टुकडें एवं कान के टॉप्स बरामद किया जाना प्रकट है। पत्रावली पर अभियुक्त लाल सिंह को धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण में गिरफ्तार किये जाने संबंधी फर्द की प्रति प्रदर्श पी–28 पेश की गई है जिसमें भी गिरफतारी के समय ली गई जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पैर के जूतो से टूटी चैन के टुकडे एवं कानों के टाप्स बरामद किया जाना अंकित किया गया है। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई खण्डनात्मक साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है जिससे प्रदर्श पी–27 एवं 28 की सत्यता पर प्रश्नचिन्हं खड़ा होता हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त लाल सिंह को मृतका केशी बाई के कमरे से गिरफ्तार किया जाना और उसके कब्जे से मृतका द्वारा वक्त घटना पहने हुए जेवर गले की चैन एवं कानों के टॉप्स बरामद किया जाना प्रमाणित होता है।

(16) गवाह मोहब्बत सिंह पी.डब्ल्यू–05 के कथनानुसार वह सर्वप्रथम मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर आई और मृतका के कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर मृतका केशी बाई की लाश के साथ अभियुक्त लाल सिंह उपस्थित मिला जिसे पुलिस ने पकड़ा। इन तथ्यों की पुष्टि गवाह प्रवीण कुमार पी.डब्ल्यू–23 द्वारा अपने बयानों के माध्यम से की गई है पी.डब्ल्यू–23 प्रवीण कुमार ने अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 31.05.2023 को पुलिस थाना गींगला में कार्यरत था उस दिन इस्तगासा नंबर 72/2023 धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त लाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसी दिन वक्त घटना लूटे गये मृतका के चांदी जैसी धातु के टॉप्स जब्त कर फर्द जब्ती मुर्तिब की जो प्रदर्श पी–09 है। दिनांक 31.05.2023 को डी.ओ. ड्यूटी होने से सूचना मिली थी कि भैंसो का नामला में जोगी के मकान में कोई बदमाश घूस गया है जिस पर हम रवाना होकर करावली पहुंचे जिस पर नरेन्द्र कुमार व धर्मेन्द्र सिंह को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा जहां काफी लोग इक्ट्ठा हो रहे थे और बता रहे थे कि केशी बाई के मकान में कोई घूस गया है और मकान अंदर से बंद कर रखा है। उनकी उपस्थिति में मकान खुलवाया और अंदर जो व्यक्ति था उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लाल सिंह राजपूत बताया और अंदर एक महिला मृत पड़ी मिली

उस संबंध में लाल सिंह से पूछा तो उसने उसको गला दबाकर मारना बताया। मौके पर उपस्थित लोगों को लाल सिंह जान से मारने की धमकी देने लगा। जिस पर लाल सिंह को धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार कर जामा तलाशी ली तो उसके जूतों में से एक टूटी चांदी की चैन व टॉप्स मिले। जिनको वजह सबूत जब्त किया गया। उस दिन मालखाना इंचार्ज होने के नाते जब्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 50 पर दिनांक 31.05.2023 को दर्ज किया गया। बाद में थानाधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 63/2023 में जब्तशुदा आर्टिकल ए, बी, सी, डी, ई को क्रम संख्या 51 पर दर्ज किया था। जिन्हें एफ.एस.एल. जांच हेतु जमा करवाने के लिए दिनांक 22.06.2023 को धर्मेन्द्र को सुपुर्द किया जिसने दिनांक 23.06.2023 को जमा रसीद लाकर दी। इस प्रकार गवाह प्रवीण कुमार पी.डब्ल्यू–23 द्वारा घटना दिनांक 31.05.2023 को 02:30 ए.एम. पर सूचना प्राप्त होने पर 20 मिनिट में घटनास्थल पर पहुंचना, मृतका केशीबाई के मकान का दरवाजा खुलवाना, अंदर अभियुक्त लाल सिंह का मृतका की लाश के साथ मिलना, अभियुक्त के जूतों से मृतका के कानो के टॉप्स एवं टूटी चांदी की चैन मिलना, अभियुक्त को धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार करना, फर्द जब्ती मुर्तिब करना और बाद में धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का इस्तगासा तैयार कर अभियुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना इत्यादि तथ्यों की पुष्टि की है गवाह के कथनों का समर्थन प्रदर्श पी–27 धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस्तगासा, फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 28, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–27ए एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह से ऐसा कोई कथन नहीं कहलवाया गया है कि अभियुक्त लाल सिंह मृतका केशी बाई के कमरे में नहीं मिला हो अथवा अभियुक्त के कब्जे से कानों के टॉप्स और चांदी की चैन के टुकड़े नहीं मिले हो। हालांकि गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी आंखो से कोई घटना होते हुए नहीं देखी और लाल सिंह द्वारा केशी बाई को मारते हुए नहीं देखा किंतु अभियुक्त लाल सिंह को मृतका केशी बाई की लाश के साथ कमरे से पकड़ा गया है और उसके कब्जे से मृतका केशी बाई के कानों के टॉप्स और चांदी की चैन के टुकड़े बरामद किये गये है जिनके संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई युक्तिसंगत कारण नहीं बताया गया है कि वह मृतका की लाश के साथ कमरे

में क्या कर रहा था और मृतका के वक्त घटना पहने हुए जेवर उसने अपने जूतो में क्यों छुपाये। इस प्रकार प्रकरण में परिस्थितियों की जो श्रृंखला बन रही है वह केवल और केवल एक ही इशारा करती है कि अभियुक्त लाल सिंह लूट के आशय से मृतका के मकान में घूसा और मृतका के जेवर छीनने की कोशिश की तथा विरोध किये जाने पर अभियुक्त ने मृतका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

(17) गवाह प्रवीण कुमार पी.डब्ल्यू–23 के कथनों की पुष्टि अन्य गवाह नरेन्द्र पी. डब्ल्यू–18 के बयानों से भी होती है जिसने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मैं दिनांक 31.05.2023 को पुलिस थाना गींगला में कानि. के पद पर कार्यरत था उस दिन रात को मैं और धर्मेन्द्र सिंह कानि. करावली में गश्त करते हुए निकले रात को करीब 03:00 बजे रात्रि गश्त में प्रवीण कुमार डी.ओ. हेड कानि. मय सरकारी वाहन चालक पुष्पेन्द्र के करावली आये और हमें बताया कि भैंसो का नामला में कोई बदमाश जोगी के मकान में घुस गया है और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और लोग एकत्र हो रहे है जिस पर रवाना होकर भैंसो का नामला पहुंचे। वहां काफी लोग एकत्र हो रहे थे लोगों ने बताया कि केशी बाई के मकान में कोई घूस गया है और अंदर से बंद कर रखा है, जिस पर हम सभी ने मिलकर दरवाजा खुलवाया जिसमें से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम लाल सिंह पिता विजय सिंह निवासी बागावतों का रौबा था। फिर हम घर के अंदर गये और देखा तो एक खाट के नीचे मृत अवस्था में एक औरत पड़ी हुई थी और कान में से खून आ रहे थे। जिसके बारे में उपस्थित लोगों ने बताया कि उसका नाम केशी बाई है। फिर हमने कमरे में मिले अभियुक्त लाल सिंह से पूछा तो उसने केशी बाई को गले से दाब कर मारना बताया। लाल सिंह उपस्थित लोगों को धमकाने व मारने लगा। जिस पर हैड कानि. प्रवीण कुमार ने उसे धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में गिरफतार किया। मेरे से लाल सिंह की जामा तलाशी लिवाई गई तो अभियुक्त के जूते में से एक टूटी हुई चांदी की चैन के टुकड़े और सोने के 2 टॉप्स मिले जिसे वजह सबूत जब्त किया गया। कानि. धर्मेन्द्र को मौके पर छोड़कर अभियुक्त व जब्तशुदा आर्टिकल सहित थाने पर आये। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने हालांकि मौके पर प्राइवेट वाहन से जाना, केशी बाई को मारते हुए और उसके साथ घटना कारित करते हुए नहीं देखना आदि कथन किये है किंतु अभियुक्त की मृतका के बंद कमरे में उपस्थिति और अभियुक्त के कब्जे से मृतका के गले की चांदी के चैन

के टुकड़े व कान के टॉप्स की बरामदगी के संबंध में कोई खण्डनात्मक अथवा विरोधाभासी कथन गवाह ने नहीं किये है। इसी प्रकार के कथन गवाह धर्मेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू–19 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष किये गये है और गवाह प्रवीण कुमार पी. डब्ल्यू–23 एवं नरेन्द्र पी.डब्ल्यू–18 के कथनों का समर्थन किया गया है। इन गवाहान से बचाव पक्ष ऐसा कोई कथन कहलवाने में असमर्थ रहा है कि जिससे अभियुक्त की मृतका के कमरे में उपस्थिति एवं अभियुक्त के कब्जे से चांदी की चैन के टुकड़े व कान के टॉप्स की बरामदगी संबंधी तथ्यों पर कोई संदेह उत्पन्न होता हो। इसी प्रकार पुलिस वाहन के चालक रहे पुष्पेन्द्र पी.डब्ल्यू–20 ने भी प्रवीण कुमार पी.डब्ल्यू–23 के कथनों की पुष्टि की है और दिनांक 31.05.2023 को उसके व प्रवीण कुमार के गश्त पर होने, गश्त के दौरान प्रवीण कुमार को फोन पर सूचना प्राप्त होना, सूचना प्राप्ति पर करावली से कानि. धर्मेन्द्र व नरेन्द्र को साथ लेकर गांव भैसों का नामला पहुंचना, वहां केशी बाई के घर का दरवाजा बंद होने पर दरवाजा खुलवाना, अंदर से लाल सिंह का बाहर निकलना, अंदर फर्श पर केशी बाई का मृत अवस्था में पड़े होना, लाल सिंह की जामा तलाशी में उसके जूतों से कान के टॉप्स व चैन के टुकड़े मिलना इत्यादि कथन किये है। प्रतिपरीक्षण में हालांकि गवाह ने घटना होते हुए नहीं देखना स्वीकार किया है किंतु गवाह ने मुख्यपरीक्षण में भी घटना स्वयं के द्वारा देखा जाना कथन नहीं कर मौके पर पंहुचकर जो देखा उसके बारे में ही कथन किये है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के कथनों से भी प्रवीण कुमार के कथनो की पूर्णतः पुष्टि होती है।

(18) यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका केशी बाई द्वारा वक्त घटना पहने हुए कपडे ब्लाउज जरिये फर्द प्रदर्श पी–03, घटनास्थल पर खून लगी टाइल व सादा टाइल जरिये फर्द प्रदर्श पी–05 तथा अभियुक्त लाल सिंह द्वारा वक्त घटना पहनी हुई शर्ट, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, को जरिये फर्द प्रदर्श पी–26 के जब्त किया गया और उन्हे एफ.एस.एल. जांच हेतु प्रदर्श पी–22, पी–23 एवं तत्पश्चात् प्रदर्श पी–45 व पी–46 के जरिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 जरिये पत्रांक 15 दिनांक 04.01.2024 प्रदर्श पी–43 पुलिस थाना गींगला द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 का अवलोकन किया जावे तो उसमें परिणाम के बारे में यह अंकित किया गया है कि: –

RESULT OF EXAMINATION

On serological examination, the blood stains on the following exhibits were found to be of HUMAN origin ;-

1(From-A), 2(From-C), 4(From-F)

RESULT OF BLOOD GROUPS

The "BLOOD-STAIN" on the following exhibits were gound to be stained with "A" group blood :- 1(From- A), 2(From-C), 4(From-F)

(19) इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–44 के अवलोकन एवं रिपोर्ट में अंकित परिणाम के अवलोकन से यह प्रकट है कि फॉर्म–ए (मृतका केशी बाई का वक्त घटना पहना हुआ खून लगा ब्लाउज), फॉर्म–सी (घटनास्थल से जब्त खून लगी टाइल) फॉर्म–एफ (अभियुक्त लाल सिंह की वक्त घटना पहनी हुई खून के धब्बे लगी शर्ट) पर परीक्षण में मानव रक्त पाया गया है और तीनों पर एक ही श्रेणी ''ए'' का मानव रक्त पाया गया है। अभियुक्त की शर्ट पर लगा हुआ रक्त स्वयं अभियुक्त का ही रहा हो ऐसा कोई कथन अभियुक्त का नहीं रहा है। इसके अलावा रक्त श्रेणी ''ए'' अभियुक्त की रही हो इस प्रकार की भी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मृतका के ब्लाउज, घटनास्थल से ली गई खून लगी टाइल एवं अभियुक्त की वक्त घटना पहनी हुई खून लगी शर्ट पर एक ही ग्रुप का रक्त पाया जाना इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि अभियुक्त द्वारा मृतका केशी बाई का गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इस दौरान मृतका के शरीर से निकले खून के धब्बे अभियुक्त की शर्ट पर लगे। इसके अलावा अभियुक्त की मृतका के कमरे में उपस्थिति एवं मृतका के पहने हुए जेवर की बरामदगी एक ही तरफ इशारा करती है कि अभियुक्त लाल सिंह द्वारा ही संपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया।

(20) जंहा तक प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह औंकार नाथ पी.डब्ल्यू–01 व गौतम नाथ पी.डब्ल्यू–02 का प्रश्न है तो पी.डब्ल्यू–01 औंकार नाथ एवं पी.डब्ल्यू–02 गौतम नाथ अपने मुख्य परीक्षण में रात के समय केशी बाई के चिल्लाने की आवाज आना, दोनों का मौके पर जाना, वहां मान सिंह व लोगों का पहले से उपस्थित होना, केशी बाई के घर का दरवाजा अंदर से बंद होना, पुलिस को सूचना करने पर पुलिस का आना, दरवाजा खुलवाना, दरवाजा खुलने पर अंदर से अभियुक्त

लाल सिंह का निकलना, केशी बाई का मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी होना इत्यादि तथ्यों की पुष्टि की है किंतु प्रतिपरीक्षण में दोनों गवाहों ने घटनास्थल पर पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही कर लिये जाने के पश्चात पहुंचना कथन किया है इससे यह प्रकट होता है कि उक्त दोनों गवाह संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत मौके पर पंहुचे थे लेकिन संपूर्ण कार्यवाही के उपरांत पहुंचने पर उक्त गवाहान ने जो देखा उसका वर्णन मुख्य परीक्षण में दोनों गवाहों ने किया है जिसका कोई खंडन बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं करवाया गया है। इसके अलावा गवाहान ने प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–07 दस्तावेजात पर मौके पर ही हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किया जाना कथन किया है। जहां तक पुलिस द्वारा उक्त दस्तावेजात पढकर नहीं सुनाने का प्रश्न है तो मात्र इसी आधार पर संपूर्ण दस्तावेजात की सत्यता संदेहास्पद नहीं हो जाती है।

(21) प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–07 लक्ष्मण सिंह, पी.डब्ल्यू–08 भैरो सिंह, पी.डब्ल्यू–09 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू–12 मान सिंह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहे है जिनके कथनों से अभियोजन को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती है। अन्य गवाह शिवनाथ पी.डब्ल्यू–10, गौतम नाथ पी.डब्ल्यू–11, रूप सिंह पी. डब्ल्यू–13, पुष्पा बाई पी.डब्ल्यू–15 स्वयं के द्वारा कोई घटना नहीं देखना स्वीकार करते हुए यह कथन करते हैं कि उन्हें मोहब्बत सिंह ने जो बताया वही बात बता रहे है। इस प्रकार उक्त गवाह हालांकि सुनी सुनाई बात कहना स्वीकार करते हैं किंतु जो बातें गवाह मोहब्बतसिंह पी.डब्ल्यू–5 ने इन गवाहों को बताई उन बातों की पुष्टि गवाहान ने की है और स्वयं मोहब्बत सिंह अपने कथनों पर अविचल रहा है और संपूर्ण घटना को अपने बयानों के माध्यम से प्रमाणित करता है।

(22) प्रकरण में प्रस्तुत गवाह शोभाराम दिनांक 27.06.2023 को पुलिस थाना गींगला में कानि. के पद पर रहते हुए प्रकरण संख्या 63/2023 अर्न्तगत धारा 458, 394, 460, 302 भारतीय दण्ड संहिता में जब्त आर्टिकल पैकेट मार्क 'बी', 'इ', 'जी' व 'एच' को अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–16 व पी–17 के जरिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराकर रसीद प्रदर्श पी–18 लाकर पेश करना कथन करता है जिसकी पुष्टि उक्त दस्तावेजात से होती है हालांकि गवाह ने आर्टिकल जमा कराने व रवानगी का समय अंकित नहीं करवाना व आर्टिकल पर भी समय का अंकन नहीं होना स्वीकार किया है किंतु मात्र समय अंकित नहीं होने के आधार पर गवाह के

संपूर्ण कथनो पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। गवाह पी.डब्ल्यू–21 जशोदा एवं पी.डब्ल्यू–22 बलवंत सिंह ने अपने सामने अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त की वक्त घटना पहनी हुई खून के धब्बे लगी शर्ट को जरिये फर्द प्रदर्श पी–26 के जब्त करना कथन किया है और प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे शर्ट की जब्ती के संबंध में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता हो।

(23) अभियोजन पक्ष की उक्त महत्वपूर्ण गवाह ने अपने बयानों में घटना के मुख्य तथ्यों की पूर्ण रूप से ताईद की है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी अर्थात् यदि प्रकरण में गवाह की संख्या कम है और इनकी साक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध गुणवत्ता लिए हैं तो अभियुक्तगण अन्य समर्थनकारी गवाह की गुणवत्ता रहित साक्ष्य की आड लेकर दोषमुक्त नहीं किए जा सकते है। हस्तगत मामले में चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू–5 मोहब्बत सिंह, पी.डब्ल्यू–06 हरिनाथ, पी.डब्ल्यू–23 प्रवीण कुमार, पी.डब्ल्यू–18 नरेन्द्र, पी.डब्ल्यू–19 धर्मेन्द्र एवं गवाह पी.डब्ल्यू–20 पुष्पेन्द्र की आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य उत्तम किस्म की है और मामले में प्रदर्श पी–44 एफ.एस.एल. रिपोर्ट, धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का इस्तगासा प्रदर्श पी–27 एवं फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–28 दस्तावेजात का कोई खंडन पत्रावली पर नहीं है और इस संपूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अन्य गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष का मामला कतई प्रभावित नहीं होता है।

(24) चिकित्सकीय साक्षी पी.ड. 16 डॉ. दुर्गेश कुमार चिकित्सक होकर मृतका केशी बाई के शव का परीक्षण करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे और इन्होंने पुलिस थाना, गींगला की तहरीर पर प्रदर्श पी–19 पर मृतका केशी बाई के शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 जारी करना कथन किया है और मृत्यु के कारण के बारे में अपनी राय में बताया है कि पोस्टमॉर्टम करने के बाद मौत का कारण मरने से पूर्व गला घोंट कर मारा जाना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–17 डॉ. शुभम अभियुक्त लाल सिंह के शरीर पर आई चोटों का दिनांक 01.06.2023 को परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–22 जारी करना कथन करता है और बताता है लाल सिंह के शरीर पर दाएं कंधे पर 2 गुणा 3 से.मी. की अब्रेजननुमा चोट थी

जो साधारण प्रकृति की थी।

(25) गवाह पी.डब्ल्यू–24 लक्ष्मण इस मामले का अनुसंधान अधिकारी है और इसने अपने बयान में पूनमनाथ की रिपोर्ट प्रदर्श पी–8ए पर मुकदमा दर्ज करते हुए स्वयं के द्वारा अनुसंधान करना कहते हुए घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–07 बनाये जाने तथा मृतका की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी–01 बनाकर लाश जरिए फर्द प्रदर्श पी–02 वारिसान को सुपुर्द करने, मृतका के वक्त घटना पहने हुए कपड़े ब्लाउज को जरिये फर्द प्रदर्श पी–03 जब्त करना, मृतका के वक्त घटना पहने जेवर जरिये फर्द प्रदर्श पी–04 जब्त करना, घटनास्थल से खून आलुदा व सादा टाइल जरिये फर्द प्रदर्श पी–05 जब्त करना, जेवर के बिल बाबत् तहरीर प्रदर्श पी–08 जारी करना, अभियुक्त लाल सिंह से प्रवीण कुमार द्वारा जामा तलाशी के दौरान जेवर जब्त करने पर उन्हें इस प्रकरण में जरिये फर्द प्रदर्श पी–09 जब्त करना, घटनास्थल पर पडी हुई मोटरसाइकिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 जब्त करना, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–11 बनाना, पीएम हेतु तहरीर प्रदर्श पी–19 देने व रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने सहित अनुसंधान के दौरान की गई अन्य कार्यवाही करने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने बयानों के माध्यम से अपने द्वारा किये गये अनुसंधान एवं अनुसंधान के दौरान बनाई गई फर्दात को प्रमाणित किया है प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2023 को सुबह 09:00 बजे दी गई थी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई पता नहीं। यह सही है कि वक्त घटना पूनमनाथ मौके पर नहीं था। यह सही है कि अभियुक्त लाल सिंह घटनास्थल मौके पर उपस्थित हो इस बाबत् कोई फोटो या विडियो पत्रावली पर नहीं है। मोटरसाइकिल घटनास्थल के पास पड़ी हो इसकी भी कोई फोटो या विडियो नही है। मोटरसाइकिल खुले स्थान से जब्त की थी। मैंने कोई गहने खुले हुए नहीं देखे। यह सही है कि जब्तशुदा आर्टिकल बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते है।

(26) प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित होना प्रकट होता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाले मामलों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरधिचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984(4) एस0सी0सी0 116 नामक मामले के पैरा 153 का उल्लेख करते हुए देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य 2019(1)

सी0जे0 (कि0) एस0सी0 नामक मामले में अभिकथित किया गया है कि :—

"A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

1- the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and 'must be or should be proved' as was held by this court in shivaji sahabrao bobade & Anr. vs. state of maharastra, (1973) SCC 793 where the observations were made:

"certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjuctures from sure conclusions.

2- the facts so established should be consistent only with the hyposthesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hyposthesis except that the accused is guilty.

3- the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

4- they should exclude every possible hyposthesis except the one to be proved and

5- there must be a chain of evidence so complete as not leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

(27) पत्रावली पर इस संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसके अनुसार अभियुक्त

को मृतका के बंद कमरे से पकड़ा/गिरफतार किया गया है और उसके कब्जे से मृतका द्वारा वक्त घटना पहने हुए जेवरात चैन के टुकडे व कान के टॉप्स बरामद किये गये है अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं बरामद जेवरात के संबंध में कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है ना ही उक्त तथ्यों का कोई खंडन करवाया गया है। प्रस्तुत मामले में भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कडियां परस्पर जुड़ी हुई होना प्रमाणित हुआ है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मृतका के कपडे एवं अभियुक्त के कपडे पर लगे रक्त की एफ.एस.एल. जांच करवाई गई है जिसमें भी भेजे गये सभी आर्टिकल पर ''ए'' श्रेणी का मानव रक्त पाया गया है जिसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियों की जो श्रृखंला प्रस्तुत मामले में बनी है वे केवल और केवल अभियुक्त लाल सिंह के विपरीत उपधारणा किये जाने की ओर इशारा करती है।

(28) जहां तक बचाव पक्ष के द्वारा गवाहान के बयानों में विरोधाभास का प्रश्न है तो इस मामले की घटना की घटना दिनांक 31.05.2023 की है और इस प्रकरण में गवाहान के बयान वर्ष 2023 से प्रारंभ होकर 2026 तक लेखबद्ध किए गए है और इतने लम्बे अंतराल में गवाहान की साक्ष्य में मामूली सा विरोधाभास आना सहज स्वाभाविक है। लेकिन इस मामले में घटना में संलिप्त अभियुक्त के नाम में तथा उनके आपराधिक कृत्य में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में लेस मात्र भी विरोधाभास नहीं आया है, ना ही अभियुक्त लाल सिंह से जब्त किए गए जेवर के संबंध में बरामदगी के गवाहान के बयानों में कोई विरोधाभास है।

(29) इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का उक्त प्रकार से किए गए विवेचन की रोशनी में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है किः— अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2023 की दरमियानी रात्रि को मौजा भैंसो का नामला में मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के आशय से परिवादी के मकान में अनाधिकृत प्रवेश कर केशी बाई के कानों के टॉप्स एवं गले की चैन लूटी और उक्त कृत्य का विरोध करने के दौरान केशी बाई का गला दबाकर उसकी हत्या कारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 449, 394, 302 के अधीन दण्डनीय अपराध किया। अतः अभियुक्त लाल सिंह उर्फ लाला के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302, 449, 394 विकल्प में धारा 382 भारतीय

दण्ड संहिता के आरोप संदेह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त धारा 302, 394 विकल्प में धारा 382, 449 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

—::आदेश::—

(30) परिणामतः अभियुक्त लाल सिंह उर्फ लाला पिता विजय सिंह, उम्र वयस्क, निवासी वागावतों का रोबा, पुलिस थाना गींगला, जिला सलूम्बर (राज.) को धारा 302, 394 विकल्प में धारा 382, 449 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विजय सिंह महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश
जिला सलूम्बर, (राज.)

(31) सजा के बिन्दु पर सुनवाईः—

सजा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया।

(क) विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है और अभियुक्त ने इस मामले में वर्ष 2023 से लगातार अन्वीक्षा का सामना भी किया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है और नवयुवक है। इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे।

जबकि विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध कर अभियुक्त को कठोर से कठोर कारावास से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

(ख) हमारे द्वारा उभयपक्षों के द्वारा दिए गए तर्कों पर गौर किया तथा पत्रावली पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हालांकि यह प्रकरण विरलतम प्रकरण नहीं है तथा अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त आदिवासी क्षेत्र का होकर गरीब व्यक्ति हैं, किन्तु अभियुक्त ने अपने सामान्य आशय के अनुसरण में मृतका केशीबाई के जेवरात चोरी करने अथवा लूटने हेतू रात्रि में अपराध करने के आशय अनाधिकृत ग्रह अतिचार करते हुए चोरी/लूट के दौरान विरोध करने पर मृतका केशीबाई की गला दबाकर हत्या कारित की। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध जो साबित हुआ है, वह अत्यंत ही गंभीर

किस्म का हैं और यदि ऐसे गंभीर किस्म के अपराध में यदि अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाता है, तो समाज पर विपरीत असर पडने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त दोषसिद्ध अपराध के आरोप में नियमानुसार दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::दण्डादेश::—

(32) अतः अभियुक्त लाल सिंह उर्फ लाला पिता विजय सिंह, उम्र वयस्क, निवासी वागावतों का रोबा, पुलिस थाना गींगला, जिला सलूम्बर (राज.) को अपराध अर्न्तगत धारा 302, 394, 449 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्धि पर निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है :—

(1) अभियुक्त लालसिंह को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,000/—रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 2 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(2) अभियुक्त लाल सिंह को दोष सिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 449 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/—रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 1 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(3) इसी प्रकार अभियुक्त लाल सिंह को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/—रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 1 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगताया जावे।

(4) अभियुक्त की सभी सजाएं साथ—साथ चलेंगी। उक्तानुसार ही सजा वारण्ट मूर्तिब किया जावे।

(5) अभियुक्त के द्वारा पूर्व में बिताई गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे।

(6) प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल जेवरात के टुकड़े आदि बाद गुजरने मियाद अपील मृतका के वारिसान को लौटाये जावे तथा मृतका के खून आलुदा कपडे, टाइल आदि बाद गुजरने मियाद अपील नष्ट किए जावे एवं मृतक का

विसरा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल यदि उसके स्वामी को सुपुर्द नहीं की गई हो तो बाद गुजरने अपील अवधि सुपुर्द की जावे।

(7) अभियुक्त की ओर से धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत जमानत मुचलके अपील अवधि व्यतीत होने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन स्वतः निरस्त समझे जावे।

(8) अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अतः निर्णय की एक प्रति उसे नि ःशुल्क प्रदान की जाये।

(विजय सिंह महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश
जिला सलूम्बर, (राज.)

(33) निर्णय आज दिनांक 17 मार्च, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(विजय सिंह महावर)
अपर सेशन न्यायाधीश
जिला सलूम्बर, (राज.)